राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 572/2013/सीकर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, झुंझुनूं। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जगदम्बा टी.एम.टी. मिल्स लि.,
रींगस, सीकर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
वी.के.पारीक,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 220/RVAT/G/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–द्वितीय, झुंझुनूं (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित कुल मांग राशि रूपये 2,28,942/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2011 को वाहन संख्या आजे–10/जी–1896 को गुडा रोड, झुंझुनूं के पास चैक किया गया। वाहन में लौहा सामान (Shapes and Section) लदा होना पाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी से परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर उन्होंने मैसर्स साउथ वेस्ट रोडवेज कैरियर, जयपुर की बिल्टी संख्या 1109 दिनांक 18.10.2011 एवं मैसर्स जगदम्बा टी.एम.टी. मिल्स लि, रींगस द्वारा मैसर्स श्रीराम एन्टरप्राईजेज, भादरा को जारी वैट इन्वॉयस संख्या R/270 दिनांक 18.10.2011 पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उक्त दस्तावेज रींगस से भादरा के लिये बने हुये है, जबकि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा उक्त माल का परिवहन हिसार के लिये होना बताया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा दिये बयानों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाने पर सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कुल राशि रूपये 2,28,942/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित

लगातार.....2

कुल मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी से पूछताछ पर परिवहनित माल का लदान रींगस, सीकर से कर हिसार के लिए परिवहन किया जा रहा था। परन्तु उक्त माल से संबंधित दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि माल का परिवहन रींगस से भादरा, हनुमानगढ के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि उक्त माल का परिवहन रींगस, सीकर से भादरा, हनुमानगढ के लिए ही किया जा रहा था, परन्तु वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा अज्ञानता एवं भूलवश गलत बयान दे दिये थे, इस हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था। अब चूंकि माल राज्य भीतर (रींगस, सीकर) से राज्य के भीतर (भादरा, हनुमानगढ) के लिए परिवहनित किया जा रहा था, अतः उसके लिए घोषणा प्रपत्र वैट–49 की आवश्यकता भी नहीं थी। उन्होंने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा कर चोरी की किसी भी प्रकार से जॉच नहीं की गई थी, एवं कर चोरी को सिद्ध नहीं किया गया, मात्र संदेह के आधार पर वैट एवं शास्ति का आरोपण कर दिया, जो कि अनुचित है। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जो कि रींगस, सीकर से भादरा, हनुमानगढ के लिए थे। परन्तु सशक्त अधिकारी ने माल का परिवहन राज्य के बाहर के लिए होना मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत वैट एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement.–

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall–

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set–up under sub–section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check–post or barrier;

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and

(e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check–post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

लगातार.....3

6. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। परिवहनित माल के साथ परिवहन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, जिन्हें वाहन चालक/माल प्रभारी ने जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे, परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा उन्हें मिथ्या/बोगस साबित किये बिना शास्ति आरोपण की कार्यवाही कर दी गई जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

7. सशक्त अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश में किसी भी प्रकार से यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का परिवहन किया है, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष नोटिस के जवाब के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था, कि माल का परिवहन रींगस, सीकर से भादरा, हनुमानगढ के लिए ही किया जा रहा था। इस प्रकार उक्त तथ्यों की गहनता से जॉच किये बिना ही सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 06.02.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य